

:: आदेश ::

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक : 08/08/2024

क्रमांक/115/स्थापना/स.प्र./2024 :: विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के अनुसार उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग में पंजीबद्ध दस्तावेज क्रमांक 3796 दिनांक 05.08.2022, क्रमांक 3255 दिनांक 14.07.2022, क्रमांक 3254 दिनांक 14.07.2022, क्रमांक 3256 दिनांक 14.07.2022, क्रमांक 7107 दिनांक 25.03.2022, क्रमांक 4565 दिनांक 14.09.2022, क्रमांक 505 दिनांक 21.02.2022 के पंजीयन में गाइडलाइन उपबंधों का सही सही पालन न करने एवं गलत मूल्यांकन कर अनियमितता पूर्वक पंजीयन किये जाने से शासन को मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के रूप में रुपये 2114689/- की राजस्व हानि पहुंचाई गई है। उक्त दस्तावेजों के पंजीयन में की गई अनियमितता के लिए तात्कालीन उप पंजीयक श्रीमति शशिकान्ता पात्रे, वर्तमान वरिष्ठ उप पंजीयक पाटन को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। यह भी कि सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच में प्रक्रियाधीन यदि कोई अन्य दस्तावेज में अनियमितता पाई जाती है तो उसे भी आरोप पत्र का आधार बनाया जायेगा।

2/ निलंबन अवधि में श्रीमति शशिकान्ता पात्रे, वरिष्ठ उप पंजीयक पाटन (जिला दुर्ग) का मुख्यालय, जिला पंजीयक कार्यालय राजनांदगांव रहेगा।

3/ निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

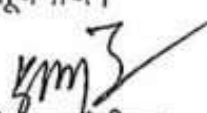

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा IAS)
महानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र0/1230/स्थापना/स.प्र./2024

रायपुर, दिनांक : 08/08/2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, दुर्ग/राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पंजीयक दुर्ग/राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला कोषालय अधिकारी, दुर्ग/राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. श्रीमति शशिकान्ता पात्रे, वरिष्ठ उप पंजीयक पाटन (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।


महानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ़, रायपुर

:: आदेश ::

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक : 08 / 08 / 2024

क्रमांक / 116 / स्थापना / स.प्र. / 2024 :: विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के अनुसार उप पंजीयक कार्यालय रायपुर में पंजीबद्ध विनिमय संबंधी दस्तावेज क्रमांक 657 दिनांक 16.06.2021, क्रमांक 1240 दिनांक 15.07.2020, क्रमांक 982 दिनांक 03.07.2020, क्रमांक 4074 दिनांक 14.09.2022 में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-46 / 2014 / वा.क.(पं.) / पांच, दिनांक 19.03.2014 के प्रावधानों के विपरीत वाणिज्यिक / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को स्टाम्प शुल्क से अनियमित छूट दी गई है तथा दान विलेख क्रमांक 7081 दिनांक 25.03.2021 एवं विक्रय विलेख क्रमांक 6250 दिनांक 19.01.2022 के पंजीयन में गाइडलाइन के उपबंधों का सही सही पालन न करने एवं गलत मूल्यांकन कर अनियमितता पूर्वक पंजीयन किये जाने से शासन को मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के रूप में कुल रुपये 5542677 / - की राजस्व हानि पहुंचाई गई है। उक्त दस्तावेजों के पंजीयन में की गई अनियमितता के लिए तात्कालीन उप पंजीयक श्री सुशील देहारी, वर्तमान वरिष्ठ उप पंजीयक धमतरी को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। यह भी कि सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच में प्रक्रियाधीन यदि कोई अन्य दस्तावेज में अनियमितता पाई जाती है तो उसे भी आरोप पत्र का आधार बनाया जायेगा।

2/ निलंबन अवधि में श्री सुशील देहारी, वरिष्ठ उप पंजीयक धमतरी का मुख्यालय जिला पंजीयक कार्यालय बालोद रहेगा।

3/ निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

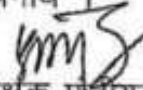

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा IAS)
महानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र0 / 1231 / स्थापना / स.प्र. / 2024

रायपुर, दिनांक : 08 / 08 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, धमतरी / बालोद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पंजीयक रायपुर / धमतरी / बालोद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला कोषालय अधिकारी, धमतरी / बालोद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. श्री सुशील देहारी, वरिष्ठ उप पंजीयक धमतरी (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।


महानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ़, रायपुर

:: आदेश ::

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक : 08 / 08 / 2024

क्रमांक / 114 / स्थापना / स.प्र. / 2024 :: विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के अनुसार उप पंजीयक कार्यालय रायपुर में पंजीबद्ध दस्तावेज क्रमांक 2993 दिनांक 17.11.2020 में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-46/2014/वा.क.(पं.)/पांच, दिनांक 19.03.2014 के प्रावधानों के विपरीत वाणिज्यिक / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को स्टाम्प शुल्क से अनियमित छूट दी गई है तथा दस्तावेज क्रमांक 1256 दिनांक 14.07.2021, क्रमांक 4008 दिनांक 23.10.2021, क्रमांक 7947 दिनांक 09.03.2022, क्रमांक 792 दिनांक 10.05.2024, क्रमांक 1132 दिनांक 22.05.2024 के पंजीयन में गाइडलाइन उपबंधों का सही सही पालन न करने एवं गलत मूल्यांकन कर अनियमितता पूर्वक पंजीयन किये जाने से शासन को मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के रूप में रुपये 87,12,714/- की राजस्व हानि पहुंचाई गई है। उक्त दस्तावेजों के पंजीयन में की गई अनियमितता के लिए श्रीमति मंजूषा मिश्रा, वरिष्ठ उप पंजीयक रायपुर को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। यह भी कि सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच में प्रक्रियाधीन यदि कोई अन्य दस्तावेज में अनियमितता पाई जाती है तो उसे भी आरोप पत्र का आधार बनाया जायेगा।

2/ निलंबन अवधि में श्रीमति मंजूषा मिश्रा, वरिष्ठ उप पंजीयक रायपुर का मुख्यालय जिला पंजीयक कार्यालय बिलासपुर रहेगा।

3/ निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


(पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा IAS)
महानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र0 / 1229 / स्थापना / स.प्र. / 2024

रायपुर, दिनांक : 08 / 08 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, रायपुर/बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पंजीयक रायपुर/बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर/बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
6. श्रीमति मंजूषा मिश्रा, वरिष्ठ उप पंजीयक रायपुर की ओर सूचनार्थ।


महानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ़, रायपुर